

नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली-110012

भारतीय स्टेट बैंक संख्या-
शाखा का कोड नं.-

कर्मचारी भविष्य निधि से वापस न करने योग्य अग्रिम के लिए प्रार्थना पत्र

1. आवेदक का नाम -----
2. पिता/पति का नाम -----
3. पदनाम, अनुभाग और तैनाती स्थल -----
4. कर्मचारी भविष्यनिधि खाता संख्या -----
5. वर्तमान वेतन (मूल, महंगाईभत्ता) -----
6. वापस न करने योग्य अग्रिम की राशि -----
व उद्देश्य, तिथि सहित पहले लिया गया, -----
यदि कोई है। -----
7. वांछित अग्रिम राशि -----

8. उद्देश्य: मकान
- क. नियम 68 बी के अंतर्गत निधि में से रिहायशी मकान/स्थल की खरीद के लिये या रिहायशी महान बनवाने के लिये अग्रिम।

निधि में से बने हुये वासगृह के आबंटन के लिये या औद्योगिक कर्मचारियों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त आवास योजना के अंतर्गत मकान बनवाने के लिये अग्रिम
- ख. नियम 68 जी के अंतर्गत निम्न आय समूह आवास योजना के अंतर्गत मकान बनवाने के लिये निधि में से अग्रिम और
- घ. नियम 68 जी .जी के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व रहित वासागृह आबंटन के लिये निधि में से अग्रिम।

आवेदक द्वारा सदस्यता के पाँच वर्ष पूरे कर लिये होने चाहिये और यदि उपरोक्त नियमों के अंतर्गत वापस न लिये जाने वाले अग्रिम के लिए आवेदन किया है, तो निम्नलिखित जानकारी है:

1. रिहायसी/प्रस्तावित खरीदी गई भूमि/ बने हुये मकान का क्षेत्रफल -----
क्या यह नगर निगम का है या किसी -----
और का यदि सम्भव हो तो पता (एडरेज) दें। -----
(जमीन/ मकान की खरीद को अन्तिम रूप -----
देने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य साथ लगायें।) -----
2. मकान/स्थल/बनवाने की अनुमानित लागत -----
(अनुमोदित योजना व अनुमान की प्रति साथ -----
लगाये) -----
3. अग्रिम राशि का उपयोग किस प्रकार किया -----
जायेगा। -----
4. एक प्रमाणपत्र लगाये कि जायदाद बाधा मुक्त -----
है और वचन दें कि उपरोक्त-पर बकाया लेने -----
पर जायदाद बाधित नहीं होगी। -----
5. शेष खर्चों का किस प्रकार प्रबंध किया जायेगा? -----

6. क्या भवन निर्माण अग्रिम निगम से लिया गया है? यदि हाँ तो कृपया राशि लिखें।

7. यदि मकान/स्थल सहकारी भवन निर्माण समिति द्वारा आबंटन किया जाना है?

क. समिति का नाम व पंजीकरण संख्या

ख. आवेदक की सदस्यता संख्या एवं दाखिले की तिथि

ग. क्या मकान/स्थल का स्वामित्व समिति के साथ या आवेदक के साथ रहेगा?

घ. क्या आवेदक को मकान/स्थल हस्तान्तरण या अन्यथा बेचे जाने से रोक दिया जायेगा?

नोट- उपरोक्त तथ्यों के समर्थन में समिति से उसके माँगपत्र की फोटो प्रति सहित दस्तावेजी साक्ष्य लगायें।

इ. नियम 68-जे. के अंतर्गत : कुछ मामलों में बीमारी के लिये निधि में से अग्रिम जैसे कि-

1. एक महीने के लिये स्थायी रूप से अस्पताल में भर्ती पर (बशर्ते कि सदस्य को चिकित्सा)
2. अस्पताल में मुख्य शल्य आपरेशन या (सुविधायें उपलब्ध न हो)
3. तपेदिक, कुष्ठ, पक्षाघात या कैंसर से पीड़ित

आसन्न प्रभारी डाक्टर से निम्नलिखित प्रमाणपत्र संलग्न करें।

1. डाक्टर के प्रमाण:

प्रमाणित किया जाता है कि रोगी को एक माह या अधिक के लिये अस्पताल में भर्ती किया गया था/भर्ती करने की जरूरत है या एक बड़ा शल्य आपरेशन करना जरूरी हो गया है।/ या

2. शाखा प्रभारी/क्षेत्रीय प्रबंधक/फार्म प्रबंधक से प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का या चिकित्सा क्षतिपूर्ति सुविधा और प्रसुविधायें कर्मचारी को रोगी के इलाज के लिये उपलब्ध नहीं है।

च. नियम 68 के.के. अंतर्गत:- पुत्र/पुत्री की शादी के लिये या बच्चों की मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिये निधि में से अग्रिम।

1. इस पैरा के अंतर्गत सदस्य को कोई भी अग्रिम मंजूर नहीं किया जायेगा, जब तक कि-

- क. अंशदान की सदस्यता के सात वर्ष पूरे न कर लिये हों, और-
- ख. उसके खाते में रू. 1000.00 या अधिक की राशि जमा हो-

पुत्र/पुत्री के शादी के मामले में निम्नलिखित सूचना दें

1. पुत्र /पुत्री का नाम
2. आयु (शादी योग्य कानूनन निर्धारित आयु अर्थात् लड़की के लिये 18 वर्ष और लड़के के लिये 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए)।

स्थान जहाँ समारोह किया जायेगा
दुल्हन/दूल्हा का नाम
पिता का नाम
पूरा पता

पहले से प्रस्तुत पारिवारिक विवरण में आश्रित का नाम होना चाहिए। किसी भी अतिरिक्त/हटाये जाने के मामले में शीघ्र ही कर्मचारी भविष्य निधि अनुभाग को कारण सहित सूचित करें।

भेट्टिक के बाद की शिक्षा

1. बच्चे का नाम
2. जन्मतिथि
3. किस श्रेणी में पढ़ रहा है
4. स्कूल कालेज का नाम व पता
5. वार्षिक शिक्षा शुल्क (स्कूल की एक रसीद साथ लगायें)
6. क्या बच्चा संस्थान के छात्रावास में रहता है? यदि हाँ तो वार्षिक शुल्क लिखें।
7. पाठ्य विवरण के अनुसार पुस्तकों की कीमत (पाठ्य विवरण की प्रति साथ लगाये।
8. अन्य शुल्क, वर्दी आदि।

छ. नियम 68 -एस के अंतर्गत- अपसामान्य स्थितियों में अग्रिम प्रदान करना (वापस न करने योग्य अग्रिम की स्वीकार्य राशि रु-500.00 मात्र है)। न्यासी मंडल सदस्य से प्राप्त प्रार्थना पत्र पर जिसकी चल या अचल सम्पत्ति का विशिष्ट प्रकृति की विपत्ति जैसे कि बाढ़, भूकम्प और दंगे द्वारा नष्ट हो गयी है, परन्तु,

क. राज्य सरकार ने यह घोषित कर दिया है कि विपत्ति ने क्षेत्र जन साधरण को प्रभावित किया है।

ख. सदस्य उचित अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि (चल और अचल) सम्पत्ति विपत्ति के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है।

9. मैं यह वचन देता हूँ कि वापस न करने योग्य अग्रिम उचित समय के अंदर (पिछली तिथि से 6 माह के अंदर) उस उद्देश्य के लिये ही उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये यह मंजूर किया गया है और न्यासी मंडल को 6 माह के अन्दर इसके उपयोग सम्बन्धी दस्तावेजी सबूत दिये जायेंगे अन्यथा/नियमानुसार ब्याज सहित राशि न्यास को वापसी की जायेगी।

10. मैं सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक है और मैं अग्रिम अनुदान की शर्तों के पालन का भी वचन देता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

जाँच सूची से सत्यापित कर लिया। प्रार्थनापत्र सही है।

प्रशासनिक अधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने वापस न किये योग्य----- के उद्देश्य के लिये दिये जाने वाले अग्रिम के संबंध में अपनी संतुष्टि के अनुसार नियमों के अंतर्गत वांछित सूचना दे दी।